	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 15, शुक्रवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 6, 2019 *Agrahayana 15, Friday, Saka 1941–December 6, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 03, 2019

जी.एस.आर.66 :-राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4क की उप-धारा (2) और 4ङ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 को और से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.- राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (सड़क परिवहन सेवा द्वारा मुफ्त यात्रा) नियम, 1989, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है, के नियम 1 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 2 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (ग) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (घ) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (गग) अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(गग) "कुटुम्ब पेंशनर" से मृतक भूतपूर्व सदस्य की पत्नी/पति और जो अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन कुटुम्ब पेंशन पाने का हकदार है, अभिप्रेत है।"

4. नियम 3 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नये नियम 4क का अंतःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के पश्चात् और विद्यमान नियम 5 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 4क अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**4क पास पर यात्रा करने का हकदार कुटुम्ब पेंशनर.-** प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कुटुंब पेंशनर को सचिव द्वारा परिशिष्ट-खख में सपर्ण कुटुम्ब पेंशनर और उसके परिचर के बस यात्रा प्रपत्र से युक्त दो पुस्तकें दी जायेंगी। प्रत्येक पुस्तक में 50 क्रम संख्यांक होंगे और जब तक एक पुस्तक समाप्त न हो जाये, कुटुम्ब पेंशनर दूसरी पुस्तक का उपयोग नहीं करेगा और प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर कुटुम्ब

पेंशनर पुस्तकें सचिव को लौटा देगा और जब तक पुस्तकें उपर्युक्तानुसार लौटाई नहीं जाती हैं तब तक सचिव अगले वर्ष के लिए नयी पुस्तक जारी नहीं करेगा।"

6. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य या, यथास्थिति, कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य या, यथास्थिति, कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य या, यथास्थिति, कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 7 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 7 में, नियम 7 के विद्यमान उपबंध उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किये जायेंगे और इस प्रकार संख्यांकित उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (2) जोड़ा जायेगा, अर्थात्ः-

"(2) इन नियमों के अधीन जारी किया गया पास केवल उस अवधि के दौरान विधिमान्य रहेगा जिसमें इसका धारणकर्ता, अधिनियम की धारा 4-ग के उपबंधों के अधीन कुटुम्ब पेंशनर बना रहता है और ज्यों ही धारणकर्ता कुटुम्ब पेंशनर नहीं रहता/रहती है वैसे ही वह पास सचिव को लौटा देगा/देगी।"

9. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "जब किसी भूतपूर्व सदस्य का" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जब किसी भूतपूर्व सदस्य या, यथास्थिति, कुटुम्ब पेंशनर का" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "का भुगतान भूतपूर्व सदस्य द्वारा किये जाने पर उस (भूतपूर्व सदस्य) के" के स्थान पर अभिव्यक्ति "का भुगतान भूतपूर्व सदस्य या, यथास्थिति, कुटुम्ब पेंशनर द्वारा किये जाने पर उस (भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर) के" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य द्वारा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य और कुटुम्ब पेंशनर द्वारा" प्रतिस्थापित की जायेगी, और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य बस यात्रा प्रपत्रों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर बस यात्रा प्रपत्रों" प्रतिस्थापित की जायेगी, और

11. परिशिष्ट 'कक' का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न **परिशिष्ट 'कक'** में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य पहचान एवं सडक यात्रा पास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर पहचान एवं सडक यात्रा पास" प्रतिस्थापित की जायेगी और विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "धारा 4-क के अधीन पेंशन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "धारा 4-क के अधीन पेंशन या, यथास्थिति, धारा 4-ग के अधीन कुटुम्ब पेंशन" प्रतिस्थापित की जायेगी, और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4क के उपबन्धों और उक्त अधिनियम की धारा 4क के अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 की धारा 4क या 4ड. और उनके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) विद्यमान अभिव्यक्ति "अधिनियम, 1956 की धारा 4-क के अधीन बनाये गये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिनियम, 1956 के अधीन बनाये गये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. परिशिष्ट 'खख' का संशोधन.- उक्त नियमों से **संलग्न परिशिष्ट 'खख'** में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "(नियम 4 देखिये)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "(नियम 4 और 4-क देखिए)" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iii) विद्यमान अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य" के स्थान पर अभिव्यक्ति "भूतपूर्व सदस्य/कुटुम्ब पेंशनर" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ. 7(2)संसद/2019]
राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, December 03, 2019

G.S.R.66 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4A and section 4E of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Transit by Road Transport Service) (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from 1st day of April, 2019.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Transit by Road Transport Service) Rules, 1989, hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression “Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members’’, the expression “Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners” shall be substituted.

3. Amendment of rule 2.- In rule 2 of the said rules, after the existing clause (c) and before the existing clause (d), the following new clause (cc) shall be inserted, namely:-

"(cc) "Family Pensioner" means the spouse of a deceased ex-member and who is entitled to receive family pension under section 4 C of the Act."

4. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the said rules, for the existing expression "Ex-Member" wherever occurring, the expression "Ex-Member and Family Pensioner" shall be substituted.

5. Insertion of new rule 4A.- After the existing rule 4 and before the existing rule 5 of the said rules, following new rule 4A shall be inserted, namely:-

"4A. Family Pensioner entitled to travel on passes.- In each year, every family pensioner shall be supplied by the secretary two books containing family Pensioner's and his attendant's Bus Journey Form's with the foils in Appendix-BB. Each book shall contain 50 serial numbers and until one book is exhausted the family pensioner shall not use the another book and at the end of every year the family pensioner shall return the books to the Secretary and until the books are returned as aforesaid, the Secretary shall not issue new book for the next year."

6. Amendment of rule 5.- In rule 5 of the said rules,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "Ex-member", wherever occurring, the expression "Ex-member or Family pensioner, as the case may be," shall be substituted;

(ii) in sub-rule (2), for the existing expression "Ex-member", the expression "Ex-member or Family pensioner, as the case may be,", shall be substituted; and

(iii) in sub-rule (3), for the existing expression "Ex-member", the expression "Ex-member or Family pensioner, as the case may be,", shall be substituted.

7. Amendment of rule 6.- In rule 6 of the said rules, for the existing expression "Ex-member" wherever occurring, the expression "Ex-member/ Family pensioner" shall be substituted;

8. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, the existing provisions of rule 7 shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) so numbered, the following new sub-rule (2) shall be added, namely:-

"(2)The pass granted under these rules shall be valid only during the period the holder continues to be a Family pensioner under the provisions of section 4-C of the Act and the holder shall return the pass to the Secretary as soon as he/she ceases to be a Family pensioner."

9. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules,

(i) for the existing expression "When an Ex-member loses", the expression "When an Ex-member or Family pensioner loses, as the case may be," shall be substituted, and

(ii) for the existing expression "to the Ex-member on his paying", the expression " to the Ex-member or Family pensioner, as the case may be, on his paying" shall be substituted.

10. Amendment of rule 9. - In rule 9 of the said rules,

(i) for the existing expression "by the Ex-member", the expression "by the Ex-member and Family pensioner" shall be substituted, and

(ii) for the existing expression "Ex-member's Bus Journey Forms", the expression " Ex-member's/ Family pensioner's Bus Journey Forms" shall be substituted,

11. Amendment of Appendix 'AA'. - In Appendix 'AA' appended to the said rules,-

(i) for the existing expression "Ex-Members", the expression "Ex-Members/Family Pensioners" shall be substituted, and for the existing expression "Ex-Member" wherever occurring, the expression "Ex-Member/Family Pensioner" shall be substituted;

(ii) for the existing expression "section 4-A of the Act.", the expression "section 4-A or cessation of Family Pension under section 4-C of the Act, as the case may be." shall be substituted;

(iii) for the existing expression "subject to the provisions of section 4-A of Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and rules made under section 4-A of the said Act", the expression "subject to the provisions of section

4-A or 4-E of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 and rules made their under" shall be substituted; and

(iv) for the existing expression "not repugnant to the rules made under section 4-A of the", the expression "not repugnant to the rules made under the" shall be substituted.

12. Amendment of Appendix 'BB'.- In Appendix 'BB' appended to the said rules,

(i) for the existing expression “(See Rule 4)”, the expression "(See Rule 4 and 4A)" shall be substituted;

(ii) for the existing expression “Ex-Member’s”, the expression "Ex-Member's/Family Pensioner’s" shall be substituted; and

(iii) for the existing expression “Ex-Member”, the expression "Ex-Member/ Family Pensioner" shall be substituted.

[No. F.7(2)Sansad/2019]
By Order of the Governor
Vinod Kumar Bharwani,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.